# फर्द अहकाम

(नियम 26)

**अज अदालत** सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप (फलोदी)

जीवणराम पुत्र अर्जुनराम **बनाम** पालु पुत्री रामचन्द्र वगैरा.

**किस्म मुकदमा** 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. 184/2024 सन्...........................

| तारीख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** | **नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए** |
| --- | --- | --- |
| 08/2024 | राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं बहस पर मनन करने से पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दुष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नंबर 836 रकबा 56.0732 हैक्टेयर भूमि में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 उक्त वादग्रस्त अराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में दखल अंदाजी न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे करे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वकील प्रार्थी द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. एडी. से करवाकर रसीदे तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली दिनांक 13/9/24 को पेश हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>बाप (फलोदी)<br>सहायक कलक्टर<br>बाप (फलोदी) | |
| 13/9/24 | आज श्रीमान् ... एस.डी.एम साहब दौरें ... हैं। पेशी इत्तला ... पत्रावली तारीख 14/11/24 को पेश हो। | |
| 14/11/24 | आज श्रीमान् ... एस.डी.एम साहब दौरें ... हैं। पेशी इत्तला ... पत्रावली तारीख 16/12/24 को पेश हो। | |
| 16/12/2024 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु भेजे नोटिस जरिये रजि. एडी की रसीदें पेश। अप्रार्थीगण [illegible]। लेकिन की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया लिहाजा इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/01/25 को पेश हो। | |
| 10/1/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए | |

मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 30-08-2024 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-01-2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

10/01/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)